रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042021-226777
CG-DL-E-27042021-226777

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1580] **नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2021/वैशाख 7, 1943**
No. 1580] **NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2021/VAISAKHA 7, 1943**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2021

का.आ. 1703(अ).—केंद्र सरकार, कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) (जिसे इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) (2020 का 38) धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में अधिसूचना संख्या 93/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, अधिसूचना सं. 10/2021 दिनांक 27, फरवरी 2021 तथा अधिसूचना सं. 20/2021 दिनांक 31 मार्च 2021 को प्रकाशित भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) का.आ. संख्या 4805(अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2020 तथा का.आ. संख्या 966 (अ) दिनांक 27 फरवरी, 2021 तथा का.आ. संख्यांक 1432(अ) दिनांक 31 मार्च, 2021 क्रमश: (इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की उपधारा (1) का प्रयोजन निर्दिष्ट करती है।

(अ) जहां विर्निष्ट अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) जिसे इसके पश्चात आयकर अधिनियम कहा गया है।

(क) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में संदर्भित किसी कार्रवाई को पूरा करना आयकर अधिनियम के तहत निर्धारण अथवा पुन:निर्धारण के आदेश परित करने से संबंधित है और धारा 153 या 153 (ग) के तहत ऐसी कार्रवाई समाप्त करने की समय सीमा 30 अप्रैल, 2021 थी उक्त अधिसूचनाओं द्वारा इसकी समय-सीमा आगे बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी गई है।

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 3 उपधारा (1) के खंड (क) में संदर्भित किसी कार्रवाई को पूरा करना आयकर अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (13) के तहत आदेश पारित करने या धारा 149 में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार धारा 148 के तहत सूचना जारी करने या आयकर अधिनियम की धारा 151 के तहत मंजूरी देने और ऐसी कार्यवाई को पूरा करने की समय सीमा 30 अप्रैल, 2021 थी उक्त अधिसूचनाओं द्वारा समय सीमा आगे बढ़ा कर 30 जून, 2021 कर दी गई है।

स्पष्टीकरण:- शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 148 के तहत सूचना जारी करने के प्रयोजनार्थ आयकर अधिनयम की धारा 151 के तहत मंजूरी या धारा 149 में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 151,148,149 के उपबंधों में इस उपबंध के अधीन, जैसा भी मामला हो जैसे वे 31 मार्च, 2021 को वित्त विधेयक, 2020 के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान थे, लागू होंगे।

(ग) जहां वित्त विधेयक 2016 (2016 का 28) (इसके पश्चात वित्त विधेयक कहा गया है) का अध्याय VIII निर्दिष्ट अधिनियम है और किसी कार्यवाई को पूरा करना उक्त विधेयक की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में संदर्भित वित्त विधेयक की धारा 168 की उपधारा (1) के तहत सूचना भेजने से संबंधित है और ऐसी कार्यवाई को पूरा करने की समय सीमा जो 30 अप्रैल, 2021 को अंतिम तिथि थी, उक्त अधिसूचनाओं द्वारा आगे बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी गई है।

[अधिसूचना सं. 38/2021/फा. सं. 370142/35/2020-टीपीएल]

राजेश कुमार भूत, संयुक्त सचिव कर नीति एवं विधान प्रभाग

टिप्पण : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) का.आ. संख्या 4805(अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2021

S.O. 1703(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Act, 2020 (38 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), and in partial modification of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) No. 93/2020 dated the 31st December, 2020, No. 10/2021 dated the 27th February, 2021 and No. 20/2021 dated the 31st March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4805(E), dated the 31st December, 2020, *vide* number S.O. 966(E) dated the 27th

February, 2021 and *vide* number S.O. 1432(E) dated the 31st March, 2021, respectively (hereinafter referred to as the said notifications), the Central Government hereby specifies for the purpose of sub-section (1) of section 3 of the said Act that, —

(A) where the specified Act is the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Income-tax Act) and, —

(a) the completion of any action, referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, relates to passing of any order for assessment or reassessment under the Income-tax Act, and the time limit for completion of such action under section 153 or section 153B thereof, expires on the 30th day of April, 2021 due to its extension by the said notifications, such time limit shall further stand extended to the 30th day of June, 2021;

(b) the completion of any action, referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, relates to passing of an order under sub-section (13) of section 144C of the Income-tax Act or issuance of notice under section 148 as per time-limit specified in section 149 or sanction under section 151 of the Income-tax Act, and the time limit for completion of such action expires on the 30th day of April, 2021 due to its extension by the said notifications, such time limit shall further stand extended to the 30th day of June, 2021.

Explanation.— For the removal of doubts, it is hereby clarified that for the purposes of issuance of notice under section 148 as per time-limit specified in section 149 or sanction under section 151 of the Income-tax Act, under this sub-clause, the provisions of section 148, section 149 and section 151 of the Income-tax Act, as the case may be, as they stood as on the 31st day of March 2021, before the commencement of the Finance Act, 2021, shall apply.

(B) where the specified Act is the Chapter VIII of the Finance Act, 2016 (28 of 2016) (hereinafter referred to as the Finance Act) and the completion of any action, referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, relates to sending an intimation under sub-section (1) of section 168 of the Finance Act, and the time limit for completion of such action expires on the 30th day of April, 2021 due to its extension by the said notifications, such time limit shall further stand extended to the 30th day of June, 2021.

[Notification No. 38 /2021/ F. No. 370142/35/2020-TPL]

RAJESH KUMAR BHOOT, Jt. Secy. Tax Policy & Legislation Division

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. No. 4805 dated 31st December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.27 20:49:33 +05'30'